



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 2018 (फाल्गुन 17, शक संवत् 1939)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. शपथ

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 27-कोलारस से उप चुनाव में निर्वाचित श्री महेन्द्र रामसिंह यादव "खतोरा", तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 34 - मुंगावली से उप चुनाव में निर्वाचित श्री वृजेन्द्र सिंह यादव, सदस्यगण ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा भवन में अपने स्थान ग्रहण किए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 एवं 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 172 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 173 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. विशेष उल्लेख

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अध्यक्ष महोदय एवं श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री ने जबलपुर निवासी मुस्कान किरार द्वारा एशिया कप में इंड्युजुअल गोल्ड मेडल लेकर आने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

- (1) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने प्रदेश की आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को उन्नत वेतनमान दिये जाने,
- (2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कूण्ड, कनापुर, कठौदी सहित 35 ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाने,
- (3) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य ने सिवनी शहर के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कन्या महाविद्यालय में उर्दू विषय के शिक्षकों के पद सृजित करने,
- (4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने रेत के खनन के चलते वन्य प्राणी घड़ियालों की वंश वृद्धि समाप्त होने,
- (5) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य ने पोहरी विधानसभा क्षेत्र में अल्पवर्षा के कारण पेयजल समस्या होने,
- (6) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य ने छतरपुर तहसील के नौगांव, महाराजपुर, गौरिहार लवकुश नगर में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा न मिलने,
- (7) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य ने कटनी जिले के बहोरीवंद अंतर्गत संचालित हायर सेकेन्डरी स्कूल, भवन विहीन होने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

6. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) भाण्डेर नगर परिषद के जल आवर्द्धन के कार्यों में भ्रष्टाचार होना

श्री घनश्याम पिरौनियों, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि भाण्डेर नगर परिषद् की जल आवर्द्धन योजना के कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की जाए.

(2) ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में खदानें बंद होने से मजदूरों का बेरोजगार होना

श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में पत्थर की खदानें बंद हो जाने के कारण मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. अतः उन खदानों को शीघ्र प्रारंभ किया जाय.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री पारसचंद जैन, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1629/म.प्र.वि.नि.आ./2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 पटल पर रखी.

(2) श्री दीपक जोशी, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा ने -

(क) अधिसूचना क्रमांक एफ 44-23-15-बीस-2, दिनांक 03 जून, 2017, तथा

(ख) अधिसूचना क्रमांक एफ 44-23-2015-बीस-2, दिनांक 24 अगस्त, 2017, पटल पर रखीं.

(3) श्री संजय पाठक, राज्यमंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त 31 मार्च, 2011) पटल पर रखा.

8. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत एवं दुर्गालाल विजय, सदस्यगण ने श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में जल स्तर वृद्धि हेतु बांध निर्माण की स्वीकृति न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, जल संसाधन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, श्री दिलीप सिंह परिहार, श्री ओमप्रकाश सखलेचा एवं श्री कैलाश चावला, सदस्यगण ने मंदसौर एवं समीप के जिले में मादक पदार्थों की तस्करी होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

कुँवर हजारीलाल दांगी, सदस्य, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बाइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 2018 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक - 18	श्री रामनिवास रावत	60 मिनट
2.	क्रमांक - 46	श्री के.डी. देशमुख	45 मिनट
3.	क्रमांक - 5, 24, 25, 32, 48	श्री रणजीत सिंह गुणवान, सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सर्वश्री शंकरलाल तिवारी, आशीष गोविन्द शर्मा	45 मिनट

कुँवर हजारीलाल दांगी, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी बाइसवें प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य ने नियम समिति का तृतीय प्रतिवेदन पटल पर रखता हूँ.

(3) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति का याचिकाओं से संबंधित बावनवां, तिरेपनवां एवं चौवनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(4) श्री के.डी. देशमुख, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

- (1) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
- (2) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (3) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
- (4) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
- (5) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
- (6) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
- (7) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
- (8) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-शयोपुर)
- (9) श्री रामनिवास रावत (जिला-शयोपुर)
- (10) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
- (11) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
- (12) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
- (13) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
- (14) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
- (15) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
- (16) पं. रमाकांत तिवारी (जिला-रीवा)
- (17) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
- (18) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
- (19) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
- (20) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
- (21) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
- (22) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
- (23) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
- (24) श्रीमती प्रमिला सिंह (जिला-शहडोल)
- (25) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)
- (26) श्री गोवर्धन उपाध्याय (जिला-विदिशा)
- (27) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
- (28) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
- (29) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
- (30) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
- (31) श्री शंकरलाल तिवारी (जिला-सतना)
- (32) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
- (33) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
- (34) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)
- (35) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)

11. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 7 मार्च, 2018 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

- (11) श्री वेल सिंह भूरिया
- (12) श्रीमती शीला त्यागी

**(अपराह्न 1.33 से अपराह्न 3.10 बजे तक अन्तराल)
उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.**

- (13) श्री के.पी. सिंह
- (14) श्री राजेन्द्र मेश्राम
- (15) श्री दिनेश राय
- (16) श्री मुरलीधर पाटीदार
- (17) श्रीमती ऊषा चौधरी

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

- (18) श्री सुन्दरलाल तिवारी
- (19) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
- (20) श्री हरदीप सिंह डंग
- (21) श्री गोपाल परमार
- (22) श्री सुखेन्द्र सिंह
- (23) श्री दिलीप सिंह परिहार
- (24) श्री जितू पटवारी
- (24) श्री गोविन्द सिंह पटेल
- (26) श्री रामनिवास रावत
- (27) श्री के.के. श्रीवास्तव

12. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि की जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

13. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (क्रमशः)

- (27) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

**उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.
अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया)

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 7.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 2018 (18 फाल्गुन, शक सम्बत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**भोपाल:
दिनांक: 8 मार्च, 2018**

**ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा**